

प्रेषक,

विमलेश कुमार झा  
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

1. श्री चन्द्रशेखर आजाद, बि०प्र०से०  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
अनुमंडल कार्यालय, रजौली, जिला-नवादा।
2. श्री सुभाष कुमार, बि०प्र०से०,  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
अनुमंडल कार्यालय, वीरपुर, जिला-सुपौल।

पटना-15, दिनांक 28-9-18

विषय: - दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की जयन्ती के अवसर पर विभिन्न जनोन्मुखी योजनाओं/कार्यक्रमों के शुभारंभ एवं बाल विवाह तथा दहेज उन्मूलन अभियान के वार्षिक समारोह में अनुमंडल पदाधिकारियों को भाग लेने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 02 अक्टूबर, 2018 को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की जयन्ती के अवसर पर विभिन्न जनोन्मुखी योजनाओं/कार्यक्रमों के शुभारंभ एवं बाल विवाह तथा दहेज उन्मूलन अभियान के वार्षिक समारोह का आयोजन बापू सभागार, गाँधी मैदान, पटना में किया जा रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार भाग लेंगे।

बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन अभियान में अपलोगों की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कार्य करने के लिए उपर्युक्त वार्षिक समारोह में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आपको पुरस्कृत किया जाना है। इसलिए वार्षिक समारोह में आपलोग विशेष रूप से आमंत्रित है।

अतः अनुरोध है कि बापू सभागार, गाँधी मैदान, पटना में दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के जयन्ती के अवसर पर विभिन्न जनोन्मुखी योजनाओं/कार्यक्रमों के शुभारंभ एवं बाल विवाह तथा दहेज उन्मूलन अभियान के वार्षिक समारोह में निश्चित रूप से भाग लेने का कष्ट करें।

विश्वासभाजन

19/3/18

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप सं०-12/प०-5001/2017-सा०प्र०-13034 /पटना, दिनांक- 28-9-18

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, नवादा एवं सुपौल को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को कार्यक्रम में निर्धारित तिथि को भाग लेने हेतु अपने स्तर से भी निदेश देने की कृपा की जाय।

19/3/18

सरकार के अपर सचिव